

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर  
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 48/2017/ गुण्डा एक्ट

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, सीकर।

सायल

बनाम

राम लखन पुत्र हरिकिशन, जाति अहीर, निवासी अरनियां, पुलिस थाना श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.)।

गैरसायल

उपस्थित:-

1. सायल की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
2. गैरसायल स्वयं उपस्थित।


इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

**निर्णय**


दिनांक : 11-2-2018

1. पुलिस अधीक्षक सीकर ने गैरसायल राम लखन पुत्र हरिकिशन, जाति अहीर, निवासी अरनियां, पुलिस थाना श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के विरुद्ध यह इस्तगासा इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 03 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत किया है।
2. पुलिस अधीक्षक सीकर ने प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि गैरसायल राम लखन पुत्र हरिकिशन, जाति अहीर, निवासी अरनियां, पुलिस थाना श्रीमाधोपुर, जिला सीकर का रहने वाला है। जो बचपन से ही गलत संगत में पड़कर जुआ खेलने व वन सम्पदा को नुकसान पहुंचाने का आदतन अपराधी हो गया है। यह व्यक्ति जिला सीकर के श्रीमाधोपुर क्षेत्र में जुआ खेलता व खिलाता है। इस व्यक्ति का यह कृत्य विधि विरुद्ध है। इस व्यक्ति के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत कुल 04 अभियोग पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये। जिनमें गैरसायल को न्यायालयों द्वारा 03 अभियोगों में सजा हो चुकी है तथा 01 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। इस प्रकार गैरसायल जुआ खेलने का आदतन अपराधी है। जिससे आम जनता गवाही देने से भी भयभीत है। गैरसायल राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2 के पैरा (आ) की उपधारा 5 में वर्णित अपराध करने में लिप्त है। अतः गैरसायल के विरुद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 03/10 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि इसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जावे ताकि क्षेत्र में जुआ खेलने आदि का अपराध न किया जावे।



  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

3. इस्तगासा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/10 के अधीन नोटिस जारी किया गया।
4. गैरसायल ने उपस्थित होकर अभिकथन किया कि मैं मेरे गांव में ताशपति खेलने गया था। मेरा मामला कोर्ट में प्रकियाधीन है। श्रीमान से निवेदन है कि आज के बाद कभी किसी प्रकार की ताशपति नहीं खेलुंगा तथा मैं इसके लिए पाबन्द हूँ।
5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक सीकर की रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि गैरसायल के विरुद्ध आरपीजीओ अधिनियम के तहत कुल 03 अभियोग वर्ष 2011 एवं 2017 में पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये, जिनमें गैरसायल को सजा हुई है।
6. मुताबिक इस्तगासा पुलिस अधीक्षक सीकर गैरसायल के विरुद्ध गत 6 माह की अवधि में कोई आपराधिक प्रकरण धारा 2(ख) के तहत दर्ज नहीं होना प्रतीत होता है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करने से तुरन्त पूर्व गैरसायल ने छः माह के भीतर कोई अपराध किया है, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 03 श्रेणी में आता हो। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर द्वारा डीबी किमीनल रिट पिटीशन नम्बर 5715/2000 निर्णय दिनांक 06.12.2001 देवेन्द्र जैन बनाम सरकार में व्यवस्था दी है कि "(ख) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975, धारा 3(3) कार्यकार मजिस्ट्रेट को ऐसी मनमानी शक्ति प्रदान करती है, जिसके तहत वह किसी भी व्यक्ति को मूलभूत मानवीय अधिकारों से वंचित करते हुए ऐसे स्थान पर भेज सकता है जहां आवास, भरण पोषण आदि की व्यवस्था न होती है— ये ऐसे अयुक्तियुक्त निर्बन्धन हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ख) व (ड) एवं अनुच्छेद 21 के तहत नागरिक के अधिकारों का अतिलंघन करते हैं— अधिनियम की धारा 3(3) व भारत का संविधान, अनुच्छेद 19(1)(ख) व (ड) एवं अनुच्छेद 21 के अधिकारातीय एवं अकिमणकारी होने के कारण अभिखण्डित की गई— देश निकाला देने का आदेश अपास्त किया।" ऐसी स्थिति में गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 03 के तहत सायल द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सायल द्वारा प्रस्तुत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 03 के तहत प्रस्तावित कार्यवाही निरस्त/ड्रॉप किया जाता है।
7. निर्णय आज दिनांक: 11-2-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेश कुमार ठकराल)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर